Sahitya Samhita ISSN 2454-2695
Peer Reviewed Hindi Journal Vol 06 Issue 11 November 2020

मानवाधिकार का वर्तमान परिदृश्य में प्रांसगिकता

भरतवैष्णव, (शोधार्थी)
डॉ. अनूपप्रधान, (शोध पर्यवेक्षक)

भूमिका–

मनव सृष्टि की सर्वश्रेष्ट कृति समझा जाताहै।उसके समुचित उत्थान और विकास हेतु आवश्यक है कि उसे जन्मोपरान्त ही कुछ मूलभूत अधिकारस्वतः प्राप्त हो जाएँ और यह समाज तथा सरकार का पुनीतकर्त्तव्य और दूसरे शब्दा ंमें उत्तरदायित्वभी होना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को समाज मे ंसम्मान और सुरक्षा, जीवन व्यतीत करने के लिए सभी साधन और अवसर उपलब्ध कराए।इसी परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्ररश स्तर पर संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा बिनादेश, धर्म, लिंग और जाति के भेदभाव के सम्पूर्णविश्व के प्रत्येक मानव के लिय ेमूलभूत अधिकार दिलाने के लिए 'मानवाधिकार घोषणा' एक महत्वपूर्ण प्रयास कियागया।संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को जारी 'मानवाधिकार घोषणा' में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 अधिकार प्रदान करने की घोषणा की गई।हमारे देश में भी इसी आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रयत्न किए गए।वास्तव मे ंमानव होने के गनाते हम सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य नागरिक सुविधाओं एवं सुरक्षायुक्त जीवन जीने का हक है।हमारा यह हक हमें सदैव मिलता रहे और इस हक को कोई न छीन सकें, इसका उत्तरदायित्व सरकार है।सरकार ने इस उत्तरदायित्व का भलीभाँति निर्वहनकरने हेतु अक्टुबर, 1993 में देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया।विभिन्न राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठनकर, इस व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है।मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने सम्बन्धी व्यवस्था की निगरानी करना तथा मानवाधिकार उल्लंघनकरनेवालोंको समुचित दण्ड दिलाकर भविष्य में इस प्रकार के कुकृत्यों की पुनरपवृत्ति रोकना है।

मानवाधिकार घोषणा–संयुक्तराष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के आधारपरसंसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त 30 प्रकार के अधिकारों का ेमोटे तौर पर तीन वर्गोंमें विभाभिज कियागयाहै–

1. पहली श्रेणी में आर्थिक अधिकारों को रखा गयाहै, जिनके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, मकान, रोजगार और सामान्य जीवन स्तर सुनिश्चित कराया जाताहै।
2. दूसरी श्रेणी में राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।जिसके अन्तर्गत कानून के समक्ष सभी लोगों को बाराबर माना गयाहै।इसके अन्तर्गत लोगों को विचार व्यक्त करने, गोपनीयता, राष्ट्रीयता, चुनाव और शासन में भागीदारी का अधिकार तथा संगठनर बनाकर शन्तिपूर्ण सभाकरने की स्वतन्त्रतादीगई।
3. तीसरी श्रेणी में सामाजिक एवं साँस्कृतिक अधिकारों को रखा गया, जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्तिको शैक्षिक तथा साँस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी प्रदान की गई।

इस प्रकार मानवाधिकार से तात्पर्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा अन्य किसी सामाजिक पहचान के आधार पर व्यक्यिों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारते हुए सभी व्यक्तियों को समुचित शिक्षा, रहन–सहन, जीवन–यापन, कोनकारतेहुए सभी व्यक्तियों को समुचित शिक्षा, रहन–सहन, जीवन–यापन, मान–मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ समाज में रहने के समान अवसर प्रदान करने से है।

Copyright ⓒ 2020Authors

विभिन्न आयोगों का गठन–हमारे देश में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक अधिकारों से वंचितलोगों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों, बच्चों एवंपिछड़े वर्गों के लोगोंकोसमानता के सिद्धान्त के आधारपर उनके सभीअधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर संविधान सम्मत विभिन्न कानून बनाए गए और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए जाते रहे।कुछ विशिष्टवर्गों के उत्थानके लिए विशेषसुझाव आमन्त्रित करने तथा सरकार द्वारा उनके कल्याण एवं सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करने हेतु विभिन्न आयोगों का भी गठन किया गया।

संविधान के 65वें संशोधनअधिनियम 1990 के प्रावधानों के अनुसार देश में अनुसूचितजाति एवंजनजाति के लोगों के कल्याणऔर उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चितकरनेऔरसरकारकोआवश्यक परामर्शदेने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचितजाति–जनजातिआयोग के गठन की व्यवस्था की गई।इसीप्रकारसंविधान की धारा 15(4) मेंकिए गए प्रावधानोंतथासर्वोच्चन्यायालय के 16 नवम्बर, 1993 के मण्डलआयोग से सम्बन्धितफैसले के क्रममेंपिछड़े वर्गों के लोगों की हितों की रक्षा तथाउन्हेंसुरक्षा तथान्याय दिलानेहेतु 14 अगस्त, 1993 कोराष्ट्रीय पिछड़ावर्गआयोग का गठनभीकियागया।

इसी प्रकार महिलाओं के संवैधानिक एव ंकानूनी अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयनतथा उनके उल्लंघन के मामलों की छानबीन और परीक्षण हेतु वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय महिलाआयोग का गठनकियागया।देशमें धार्मिकअल्पसंख्यकों के संवैधानिकहितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए चलाए जारहेकार्यक्रमों का प्रभावीक्रियान्वयनसुनिश्चितकरने के उद्देश्य से जनवरी 1978 मेंअल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गयाऔर इस का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर 1992 से इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूपमेंपुनर्गठितकरदेश के सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चितकरने का प्रयासकियागया।इसी प्रकार बच्चोंको शोषण से मुक्ति दिलाने तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिकसांस्कृतिकअधिकारों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे है। यद्यपि चाहे अनुसूचितजाति एवंअनुसूचित के लोगहों, अल्पसंख्यक होंअथवा वृद्ध या विकलांगहों, मानव होने के नाते वे सभी अधिकार उन्हे ंस्वतः प्राप्तहै।संयुक्तराष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के आधारपरजो 30 प्रकार के अधिकारसभीदेशोंऔरसभीश्रेणियों के लोगोंको मिल जानेचाहिए उसमेंउपर्युक्तसभीलोगसम्मिलितहैं।

मानवाधिकार के सम्बन्ध में यदिहमअपनीभारतीय परम्परा के पन्नोंकोपलटकर देखेंतो पता चलताहैकिपुरातन समय से हमारे यहाँ मानवाधिकारों के संरक्षणऔर संवर्धनहेतुसभीआवश्यक व्यवस्थाएँ की गईहै।वसुधैवकुटुम्बकम् का सार्वभौमिकसिद्धान्तहमारीसंस्कृति का मूल रहा है जिसमें न केवल अपने देश बल्कि सम्पूण्र संसार के सभीप्राणियोंको एक हीपरिवार का सदस्य मानागयाहै।हमारेवेदों, शास्त्रों, उपनिषदोंको एक हीपरिवार का सदस्य मानागयाहै।हमारेवेदों, शास्त्रों, उपनिषदोंऔरनीतिग्रन्थोंमेंअनेकानेकस्थानोंपरसंसार के सभीप्राणियोंमेंसमानता का सिद्धान्त को अपनाने सम्बन्धी असंख्य दृष्टान्त मिलते हैं।हमारे पौराणिक ग्रन्थ गवाह है कि वैदिककाल से ही हमारे यहाँ स्त्री पुरूष को समान अधिकार प्राप्त रहे है।

हमारे धर्मगन्थोंमेंअनेक ऐसेउदारहणमौजूदहैजहाँ सर्वसमर्थऔरपरम शक्तिमान् होतेहुए भी शत्रु कोकिसीप्रकारवरदानअथवा शक्ति की मान–मर्यादा रखने का प्रत्येकस्थितिमेंपालनकियागयाहै।जिससेपूरीतरह यह सिद्ध होताहैकिमानवाधिकारों की परिकल्पनाऔरव्यावहारिक जीवन मेंउनकासमावेशभारतीय संस्कृति का आधारभूतगुणरहाहै।

Copyright ⓒ 2020Authors

मानवाधिकारों की रक्षा के लियेदेशमेंगठितराष्ट्रीय मानवाधिकारआयोग द्वारामानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धितशिकायतों के आधारपरआवश्यक कार्यवाही की जातीहैऔरइनउल्लंघनकार्ताओंको यथाप्रावधानदण्डदिलाने का प्रयासकियाजाताहै।प्रोटेक्शनऑफराइट एक्ट 1993 के अनुसारदेशमेंमानवाधिकारहननसम्बन्धीमामलों के निपटानेहेतुविशेषअदायतों का गठनकियागयाहैतथा इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसारराज्योंमेंमानवाधिकारों के हनन से सम्बन्धितसुनवाईकररहीविशेषअदालतोंमेंसरकारीअभियोजनअधिकारी की नियुक्ति की अनिवार्यव्यवस्था की गईहै।अबतक 10 राज्योंमेंराज्य मानवाधिकारआयोगों का गठनभीकियाजाचुकाहै।

आमतौरपरमानवाधिकारउल्लंघन के अन्तर्गतवर्तमानमें एक अभियुक्त की लम्बीअवधि तथान्यायिकअभिरक्षा मेंनिरूद्धि पुलिस द्वाराउत्पीडन, महिलाउत्पीड़न के मामले, दलितों के उत्पीड़नसम्बन्धीमामले, सुरक्षा बलों द्वारालोगों के साथअमानुषिकअत्याचार, सामूहिकनरसंहारआदि के सम्मिलितकियाजाताहै।कुछवर्षपूर्व यद्यपि इस प्रकार की शिकायतों की संख्या बहुत कम थी, अबइनमेंबड़ीतेजी से वृद्धि दर्ज की गईहै।

मानवाधिकारों के उल्लंघन की देशभरमेंतोकई घटनाएँ होतीहैं, लेकिनइनमें से कुछही घटनाओंकोपंजीकृतकरायाजाताहै।वर्तमानमें बढ़ती साक्षरतातथादिशामेंलोगोंमें बढ़ती जागरूकता से शिकायतोंकोपंजीकृतकराने का कार्यअबअधिकमात्रा मेंकियाजारहाहै। इस दिशामेंपढ़े लिखेऔरजागरूकलोगों, स्वयंसेवी, संगठनोंमहिलासंगठनों, विभिन्नराजनैतिकदलों, जागरूककार्यकर्ताओं एवंमीडिया के प्रयायों के फलस्वरूपआज न केवलमानवाधिकारों के प्रतिलोगों की जागरूकतामेंपर्याप्तवृद्धि हुईहै, बल्किमानवाधिकारउल्लंघन के मामलोंकोबड़ीतत्परता से राष्ट्रीय मानवाधिकारआयोग/राज्य मानवाधिकारआयोगोंकोसूचितकर उनके हस्तक्षेप की माँगऔरउनसेन्याय दिलाने की गुहार की जारहीहै।इससेमानवाधिकारउल्लंघन के मामलोंमेंवृद्धि भलेहीदृष्टिगतहोतीहो, लेकिनवास्तवमेंउल्लंघनकर्ताओंमेंआयोग के हस्तक्षेप का भय तेजी से बैठताचलाजारहाहैऔरआशाहैकि यदिइसीप्रकार से जागरूकतामेंवृद्धि होतीरहीतो ऐसी घटनाओंमेंकमीआएगी।

इस सन्दर्भमें यहाँ एक तथ्य और विचारणीय हैकिमानवाधिकारसुरक्षा के सम्बन्ध मेंआजकुछवर्गों , विशेष रूप से सुरक्षा बलों, पुलिसअधिकारियोंऔरसरकार द्वाराकुछअलगतरह से विचारभीप्रस्तुतकियेजारहेहै।इनवर्गों का कहनाहैकिआज के परिवेशमेंमानवाधिकारों की एकपक्षीय परिभाषा की जारहीहै।आजकिसीभीमामलेमें एक अभियुक्त की निरूद्धि, पुलिसथानोंमेंमहिलाओं के साथबलात्कार, पुलिसअभिरक्षा मेंलोगों की मौतोंतथापुलिसउत्पीड़नआदिकोतोमानवाधिकार की विषय–वस्तु के रूपमेंलियाजासकताहैतथा उनके चर्चेऔर उनके सम्बन्ध मेंसरकार की ढिलाईआदिकोबहुतबड़ा चढ़ाकरजनता के सामनेप्रस्तुतकियाजासकताहै।

सामान्यतया एक हत्या के अभियुक्त के न्यायिकपरीक्षणमेंहोहरेविलम्बपर उनके मानवाधिकार के हननकोतो बढ़ा–चढ़ाकरप्रस्तुतकियाजारहाहै, लेकिन वो माँ–बापजिसकेबेटे की हत्या की गईहै, वो महिलाजिसकासुहागछीनागयाहैअथवा उन दुधमुँहेबच्चों, जिनसे उनके पिताकोबेवक्तछीनकर उनके भविष्य परप्रश्नचिन्हलगादियागयाहै उनके अधिकारों की तरफकदाचित् हीकिसी का ध्यानआकर्षितहोरहाहै।चूंकिदोनोंपरिस्थितियोंमेंमानवाधिकारों का हननहोताहैअतः केवलकोउजागरकरनाअथवाउसको बढ़ा–चढ़ाकरप्रस्तुतकरनाकिसीभीस्थितिमेंउचितनहींकहाजासकता।

 Copyright ⓒ 2020Authors

अतः आज की आवश्यकता यह हैकिहमअनेकव्यक्ति की चाहे वहप्रताड़ितहोअथवाअभियुक्तमानवाधिकारसुरक्षा की ओरबराबर ध्यानदें।

संरक्षण के उपाय –देश के नागरिकोंकेमानवाधिकारों के सम्बन्ध मेंजानकारीदेने, उनमें इस दिशामेंजागरूकताउत्पन्नकरने, उन्हेंप्राप्तकरने के लिए सरकारपरदबावबनाने, इनके उल्लंघनकर्ताओं के प्रतिदण्डात्मककार्यवाहीकराने का प्रयत्नआदिमेंविशेष रूप से मीडिया, स्वंयसेवीसंगठनों, महिलासंगठनों ने अपनेदेशमेंअतिमहत्वपूर्णभूमिका का निर्वाहकियाहै। एक ओरमहत्वपूर्णकार्यजोमीडिया से अपेक्षितहैवहहैमानवाधिकारों के सम्बन्ध मेंसामान्य लोगोंकोअधिक से अधिकजानकारीविभिन्नपत्र–पत्रिकाओं, रेडियों, दूरदर्शनआदि के माध्यम से पहुँचाना।इसीप्रकारस्वयंसेवीसंगठनोंऔरमहिलासंगठनोंमेंमहिलाउत्पीड़नऔरमानवाधिकारउल्लंघन से सम्बन्धितमामलोंकोप्रकाशमेंलाकरसम्बन्धितलोगोंकोन्याय दिलानेमेंउत्कृष्ट भूमिका का निर्वाहकियाहै।

देशमेंसभीनागरिकोंकोमानवाधिकारसरंक्षणसुनिश्चितकरने के लिए सुरक्षा बलों, जैसे–पुलिस, सी.बी. आई, सी.आई.डी., आई.बी.आर्मीआदि के नीचे से लेकरऊपरतकसभीस्तर के अधिकारियों एवंकर्मचारियोंकोमानवाधिकार के सम्बन्ध मेंकानूनसम्मत, तथ्यपरकऔरव्यावहारिकजानकारीदेने के लिए लघुअवधि विशेषप्रशिक्षण–कार्यक्रमों का आयोजनसुनिश्चितकियाजानाचाहिए।

एक औरमहत्वपूर्णकदमजोसरकार द्वारअति शीघ्रउठायाजानाचाहिए, वहहैशिक्षा के सभीस्तरोंपरमानवाधिकारों के सम्बन्ध मेंकुछ न कुछजानकारी का पाठ्यक्रमनिर्धारितकरना।इससेनिकटभविष्य मेंनिश्चितहीसुखदपरिणामप्राप्तहोसकेंगे।

निष्कर्ष :–इस प्रकारकहाजासकताहैकिमानवाधिकारआयोग के द्वारावैश्विकस्तरपरमानव के अधिकारों की रक्षार्थसराहनीय कार्यकियेगयेऔरप्रत्येकमानव के हितोंकोइसमेंसमाहितकियागया।इसकेसाथहीअर्न्तराष्ट्रीय स्तरपरप्रत्येकदेशको यह निर्देशभीदियागयाकिवेअपने–अपनेदेश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षार्थसार्थककदमउठायें।अस्तु,कहाजासकताहैकिआजविश्व के सभीदेशोंमेंआमनागरिकों के अधिकारों की रक्षार्थमानवाधिकारआयोगबडेहीसकारात्मक रूप से कार्यकररहीहैऔरआमलोगइससेलाभान्वितहोरहेहैं।निष्कर्षतकहाजासकताहैकिवर्तमानवैश्विकऔरभारतीय परिदृश्यमेंमानवाधिकारआयोग के कार्यों की महत्ताऔरप्रासंगिकतासराहनीय है।

सन्दर्भ

1. अनिल, एस.के. :भारत का संविधान, प्रभातप्रकाशन, नईदिल्ली–(2013)
2. जोशी, मोतीलाल :मानवाधिकारऔरशिक्षा, मायाप्रकाशनमंदिर, उदयसिंह की हवेली, त्रिपोलियाबाजार, जयपुर–(2004)
3. जैननीरज : वैश्वीकरण या पुनःऔपनिवेशीकरण, गार्गीप्रकाशन, सहारनपुरजन– (2002)
4. किशोर, राज : समाजवाद का भविष्य, प्रकाशनसंस्थान, दरियागंज, नईदिल्ली–(2002)
5. सिंह, नामवर : सामाजिकन्याय की अवधारणासम्पादक–रमेशउपाध्याय व संज्ञाउपाध्याय, शब्द संधान, दिल्ली–(2002)

 Copyright ⓒ 2020Authors